

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

देवेन्द्र बनाम लालबहादूर चगैरा

न	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  मु. No. 38 25-01-23	न. या ता. अहकाम जो जाशी हुआ
	<p>25.01.2023</p> <p>आज यह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट. वारते वकील प्रार्थी ने दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक से तामिल जारी हो पत्रावली वारते तलबी दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)</p> <p>27/2 आज यह पत्रावली पेश हुई। वार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व भादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/3/23 को पेश हो।</p> <p>रीडर</p> <p>5.4.23 आज यह पत्रावली पेश की गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक से तामिल जारी हो पत्रावली वारते तलबी दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।</p>	<p>न. या ता. अहकाम जो जाशी हुआ</p> <p>note press Jalby Adv. Raj 05/4/23</p>

वाट पर गोर प्रेष कले विना  
है। मरः मारी का बहमोर  
प्रेष में लाएक विचाराक  
है। पनावणी- फलक कृष्ण  
चेकर मरः स के होवास  
पूर्व लाएक सफल हो

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराणा (अलवर) राज.

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

देवेन्द्र बनाम लालबहादूर वगैरा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

न. या ता.  
अहकाम जो  
जारी हुआ

सु. 27  
25-01-23

25.01.2023

आज यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावा के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ-साथ पढा गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 1534/0.19 वाके ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना की वो आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन वय हिया व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे। ना ही प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने मे दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत वाजी पैदा करे। ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

तथा क्यौना यह आज्ञा ताफैसला दावा रथाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलवाना रजिस्ट्रड ए0डी0 पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रड ए0डी0 तलब हो वाद तलवी पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर)

27/2/23

आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सप नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का दावन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/5/23 को पेश हो।

सीडर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या अहकाम की तारीख
-------------	------------------------------------	-------------------------

5-4-23 कागद मय प्रारम्भिक मुकद  
 मय के लिये प्रेषण हुक्म  
 प्रमाणिकी के मुकद मय  
 मोट प्रेषण के लिये ही  
 हुक्म है। प्रमाणिकी के  
 मोट प्रेषण किमोत  
 मय प्रमाणिकी का प्रारम्भिक  
 मोट प्रेषण के लिये ही  
 किमोत प्रेषण है। प्रमाणिकी  
 प्रमाणिकी के लिये ही  
 मय प्रेषण के लिये ही  
 प्रमाणिकी के लिये ही

Note  
 process  
 हुक्म  
 0.1  
 by  
 Adv.  
 Rajender

उपरखण्ड अधिकारी  
 जीमराना (अलवर) राज.